उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त - (लेखा परीक्षा)अनुभाग -2

संख्या-7/ 2018/आडिट-2-1089/दस-2018-370(4)/2018

लखनऊ : दिनांक : : 04 सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र दिनांक 01.07.18 द्वारा समूह 'ख' के अराजपत्रित दो एवं राजपत्रित एक अधिकारी के स्थानांतरण कर समायोजित किए जाने संबंधी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरांत निम्नवत् तालिका 01 एवं 02 में उल्लिखित अधिकारियों को तालिका के स्तंभ 04 में अंकित स्थान पर समायोजित किए जाने का एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है :-

तालिका -01 (समूह 'ख' अधिकारी अराजपत्रित)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्य स्थल	स्थानांतरण कर समायोजित किए जाने का स्थान
1	2	3	4
1	श्री विनीत प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।	संवर्ती संपरीक्षा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ।	कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ।
2	श्री जय प्रकाश त्रिवेदी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।	संवर्ती संपरीक्षा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ।	कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ।

तालिका -02 (समूह 'ख' अधिकारी राजपत्रित)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्य स्थल	स्थानांतरण कर समायोजित किए जाने का स्थान
1	2	3	4
1	श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक।	संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ।	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हरदोई के रिक्त पद पर।

2- उक्त स्थानांतरण चिकित्सा विभाग के अधीन संचालित सस्थाओं तथा कृषि विभाग के अधीन संचालित उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की लेखा परीक्षा का दायित्व स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के स्थान पर महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के द्वारा कराये जाने के दृष्टिगत किए जा रहे हैं।

3- निदेशक द्वारा अभी तक जनपदवार/संस्थावार पदों का चिन्हांकन/स्वीकृत नहीं कराया गया है और उनके स्तर से अभी तक जो भी स्थांनातरण किए गये हैं वे कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए किए जाते रहे हैं। पदों के चिन्हांकन की कार्यवाही गतिमान है।

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या -7/ 2018/आडिट-2-1089(1)/दस-2018-370(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन संस्थाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी जा चुकी है उनसे हटाये गये कार्मिकों को प्रस्तावित स्थानों पर पदों के अतिंम रूप से चिन्हित होने तक कार्य करते रहने देने एवं पूर्ववत् वेतन दिया जाना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त तैनाती वाले कार्मिकों से जहाँ भी कार्य लम्बित हो वहाँ तत्काल कार्य पूर्ण करायें व वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत करायें।

(2) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।

(3) संबंधित कर्मचारी।

(4) संबंधित उपनिदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।